संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून

विषय: श्री राजा राम, कनिष्ठ सहायक, जेल विभाग का अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दिशानिदेश के अंतर्गत राज्य पुनरावंटन ।

महोदय,

ऊपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 09-02-2012 को आयोजित बैठक में श्री राजा राम, कनिष्ठ सहायक, जेल विभाग के आवेदन पर विचार किया गया । अनुसूचित जाति के कार्मिक होने के कारण तथा दिनांक 28/29-07-2008 एवं दिनांक 24-06-2010 के आदेशो द्वारा जारी दिशानिदेशों से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि उनका राज्य पुनरावंतन उत्तराखंड के स्थान पर उत्तर प्रदेश कर दिया जाए ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा श्री राजा राम, कनिष्ठ सहायक, जेल विभाग का अंतिम आवंटन उत्तर प्रदेश के लिए किया जाता है । संबंधित कार्मिक से आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

Deptt. of ...
Receipt & ...
22
जारी